न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 114/2017

1. दलीप पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता वादी
2. पैराकार राज

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24/6/17

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के नाम से चक 4 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/36 के मुरब्बा नम्बर 39 की 3.162 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 51 की 1.265 हैक्टर कुल 4.427 हेक्टर नहरी कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है

वादी का वास्तविक नाम दलीप पुत्र काशीराम है, वादी को घर पर दीपचन्द भी कहा जाता है। इस कारण उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दलीप के स्थान पर दीपचन्द दर्ज हो गया है जबकि वादी का भारत निर्वाचन आयोग से पहचान पत्र संख्या आर. जे./1/007/303324 बना हुआ है जिसकी नकल शामिल है। जिस पर वादी का फोटो भी दर्शाया हुआ है। तथा वादी के नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा जे.सी. मिल्स श्रीगंगानगर में खाता भी खुला हुआ है। जिसमें भी उसका नाम दलीप अंकित है। तथा आधार कार्ड बनवाने के लिये भी आवेदन किया हुआ है। जिस पर भी उसका फोटो दर्शाया हुआ है। तथा सरपच ग्राम पंचायत 3 सी छोटी से पहचान प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। जिस पर भी उसका फोटो प्रमाणित किया हुआ है। इस प्रकार वादी का वास्तविक नाम दलीप है तथा उसको घर पर दीपचन्द पुकारें जानें के कारण राजस्व रिकार्ड में दीपचन्द दर्ज हो गया है जबकि दलीप व दीपचन्द काशीराम के दो अलग अलग पुत्र ना होकर प्रार्थी अकेला दलीप ही है। इस प्रकार चक 4 सी छोटी की उपरोक्त कृषि भूमि का काबिज व हकदार है।

राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दीपचन्द दर्ज होनें तथा अन्य रिकार्ड में दलीप दर्ज होनें के कारण वादी को भूमि की काश्त सुधार तथा वक्त जरूरत पर मुन्तकिल करनें में बाधा पैदा हो रही है। अतः वादी के लिये उपरोक्त कृषि भूमि खातेदारी घोषित करवाना तथा राजस्व रिकार्ड में दलीप पुत्र काशीराम अथवा दलीप उर्फ दीपचन्द पुत्र काशीराम दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। जिससे की वह भूमि का सही उपयोग कर सके।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

लगातार 2

वादी को सरकार द्वारा कृषकों को दी जा रही डिग्गी निर्माण अनुदान आदि योजनाओं को प्राप्त करनें के लिये भी रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करवाना आवश्यक हो गया है।

वादी द्वारा प्रजिवादी से बार बार आग्रह किया गया कि वह चक 4 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/36 के मुरब्बा नम्बर 39, 51 की 4.427 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार हकदार मानकर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करके दलीप पुत्र काशीराम अथवा दलीप उर्फ दीपचन्द पुत्र काशीराम दर्ज करें मगर वह टाल मटोल करते हुए दिनांक 20.06.2017 से इन्कारी है तथा स्पष्ट कहा कि वह इस सम्बंध में श्रीमान् न्यायालय के आदेश/डिक्री लानें पर ही संशोधन किया जा सकेगा। अतः यही बिनाय मुखस्मत है। तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद वादी पेश करके अर्ज है, कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. डिक्री घोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में इस अमर की सादिर की जावे कि चक 4 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/36 मुरब्बा नम्बर 39, 51 की कुल 4.427 हैक्टर का वादी दलीप पुत्र काशीराम खातेदार काश्तकार तथा हकदार है। तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक संशोधन करते हुए दलीप उर्फ दीपचन्द पुत्र काशीराम दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पैरोकार राजद्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद में नाम संशोधन हेतु वाद वादीया स्वंय साबित करें यदि नाम में शुद्धि की जाती है तो बैक से अनाप्ति प्रमाण पत्र लिया जाकर किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

वादी द्वारा अपनें वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य सरंपच चक 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्रमाण पत्र पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि दलीप पुत्र काशीराम उर्फ दीपचन्द पुत्र काशीराम निवासी 4 सी छोटी जाति जाट जिला व तहसील श्रीगंगानगर है यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है मै इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।

वादी के भाई कवंरसेन व चैनाराम द्वारा भी वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर दलीप पुत्र काशीराम उर्फ दीपचन्द पुत्र काशीराम नाम अपनें भाई का होनें का कथन किया जाकर नाम दुरूस्त करनें हेतु निवेदन किया।

वादी के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्ता नें अपनें वादपत्र को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

A-13/3

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादीया पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत 4 सी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 28/36 मुरब्बा नम्बर 39, 51 की कुल 4.427 हैक्टर का वादी दलीप पुत्र काशीराम खातेदार काश्तकार तथा हकदार है। तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक संशोधन करते हुए दलीप उर्फ दीपचन्द पुत्र काशीराम दर्ज करनें का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24/6/17 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर